

जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

आदेश

1. श्री भगवान सिंह, सहायक अभियंता (अनुबंध), जिला परिषद, वैशाली, हाजीपुर एक सेवानिवृत्त अभियंता हैं जिन्हें दिनांक 11.11.2013 को विहित प्रक्रिया के अनुरूप अनुबंध पर अगले ग्यारह माह के लिए जिला परिषद के सहायक अभियंता पद पर कार्य करने हेतु रखा गया था। पुनः माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद की अनुशंसा एवं आदेश से इनकी अनुबंध की अवधि कमशः अगले 11-11 माह तक के लिए बढ़ाई गई। इस प्रकार श्री भगवान सिंह दिनांक 11.11.2013 से अभी तक इस पद अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं।
2. सहायक अभियंता के रूप में इनके प्रभार में सम्पूर्ण जिला परिषद क्षेत्र है, अर्थात् जिला परिषद अन्तर्गत एवं इसके द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए ये सम्पूर्ण रूप से जवाबदेह हैं। इस दरमियान जिला परिषद, वैशाली में मुख्य रूप से 13वीं वित्त एवं बी0आर0जी0एफ की योजनाएँ ली गई या फिर पूर्व से चल रही योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। मेरे द्वारा प्रभार लेने की तिथि 14.08.2015 के बाद से ही इन योजनाओं से संबंधित अभिलेख एवं अन्य कागजातों की समीक्षा एवं गहन जाँच शुरू की गई। क्योंकि प्रभार लेने के उपरान्त मुझे ज्ञात हुआ कि श्री शिशिर कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता-सह- प्रभारी जिला परिषद, जिला परिषद, वैशाली के विरुद्ध हाजीपुर थाना में दो प्राथमिकियाँ क्रमशः 888/2013 एवं 946/2014 दर्ज हैं, जिसमें लगभग दो करोड़ बीस लाख की राशि सन्निहित है। इसके अतिरिक्त श्री रामलगन प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग प्रतिनियुक्त, जिला परिषद, वैशाली के विरुद्ध हाजीपुर थाने में काण्ड सं0- 494/2013 दर्ज हुआ जिसमें लगभग अट्ठासी लाख रुपये सन्निहित है। प्रारंभिक जाँच में ही अभिलेखों के संधारण, रोकड़ बही का अभिलेखन तथा बगैर एकरनामा की कार्य किया जाना तथा बगैर उप विकास आयुक्त के मापी पुस्त के अभिप्रमाणित हुए जिसमें कथित रूप से विपत्रों का इद्रांज किया जाना आदि में गंभीर गड़बड़ी/अनियमितता आदि सामने आई। इसी बीच अधोहस्ताक्षरी 125 -वैशाली वि0सभा के निर्वाची के रूप में नियुक्त किए गए। अतः स्वाभाविक रूप से नामांकन की तिथि 01.09.2015 या इससे पूर्व से ही से लेकर 08.11.2015 की मतगणना तक मेरे द्वारा गहन जाँच की कार्रवाई बाधित हो गई। निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के उपरांत फिर से इस कार्य को प्रारंभ किया गया तो पाया गया कि श्री भगवान सिंह, सहायक अभियंता (अनुबंध), जिला परिषद, वैशाली, हाजीपुर ना तो नियमित रूप से कार्यालय आते हैं और ना ही इनके अधीन चलने वाली करोड़ों रुपये की योजनाओं का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण किया जा रहा है। बिना स्थलीय जाँच किये जाँच तथा विपत्र निर्माण की खानापूर्ति की जा रही है। इतना ही नहीं इनके द्वारा बगैर योजना की जाँच किये आनन-फानन में मनमाने तरीके से बगैर स्थापित नियमों का पालन किये अग्रिम दिये जा रहे हैं एवं अनियमित रूप से मापी पुस्त में कथित इन्द्राज के विरुद्ध राशि विमुक्त/अग्रिम देने की कार्रवाई की जाती रही है। मेरे द्वारा बैठकों में लगातार इस आशय का निदेश दिया जाता रहा कि वित्तीय नियमों का कठोरता से पालन हो एवं बगैर अभिलेखों के नियमानुकूल संधारण के तथा योजना के भौतिक स्थलीय निरीक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य के भुगतान न किये जाये। लेकिन इसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता का धोतक है।
3. उपरोक्त परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय का पत्रांक- 1074 दिनांक- 14.11.15 द्वारा श्री भगवान सिंह, सहायक अभियंता (अनुबंध), जिला परिषद, वैशाली, हाजीपुर को दिनांक- 14.11.15 से अगले आदेश तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय अवस्थित निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठकर जिला परिषद, वैशाली अन्तर्गत चल रही सभी विकास की योजनाओं के अभिलेख संधारण एवं कागजातों की जाँच प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से इन्हें यह आदेशित किया गया था कि इस कार्य के समापन तक प्रतिनियुक्ति बनी रहेंगी और इन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ना है। परन्तु इन्होंने इस आदेश की अवहेलना की एवं अनुशासनहीनता का परिचय दिया और मेरे उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस बीच कई बार मेरे कार्यालय कक्ष से भी दूरभाष द्वारा इनके बारे में पता किया गया, परन्तु ये उपलब्ध नहीं हुए, जिसके कारण अभिलेखों के जाँच पड़ताल का कार्य लगातार बाधित होता रहा। ऐसी स्थिति में इस पूरी गड़बड़ी में इनकी संलिप्तता पर संदेह होना परिलक्षित होता है।
4. तदुपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक- 1078 दिनांक- 19.11.15 द्वारा श्री भगवान सिंह, सहायक अभियंता (अनुबंध), जिला परिषद, वैशाली, हाजीपुर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसमें उनसे पूछा गया कि

28/11/15

पत्रांक- 1074 दिनांक- 14.11.15 द्वारा जो निदेश उन्हें दिया गया था, उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ और दिनांक- 14.11.15 से अगले आदेश तक उपर्युक्त वर्णित कार्यों के लिए जो प्रतिनियुक्ति की गयी थी तो वे इस आदेश की अवहेलना कर लगातार क्यों अनुपस्थित रहें एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुँचायी । इसी पत्र में उनसे यह भी पूछा गया था कि जब उन्हें मेरे द्वारा दिनांक- 09.11.15 एवं 12.11.15 को भी उन्हें खोजा गया था तो वे क्यों अनुपस्थित पाये गये ? उनसे इस स्पष्टीकरण का उत्तर 24 घंटे के अन्दर मांग की गयी। परन्तु ना तो उन्होंने इस स्पष्टीकरण का उत्तर आज तक दिया और ना ही मेरे कार्यालय में उपर्युक्त वर्णित जाँच कार्य में शामिल हुए ।

5. उनके इस कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के लिए पुनः इस कार्यालय के पत्रांक- 1091 दिनांक- 25.11.15 द्वारा उनसे दूसरा स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें उनके विरुद्ध कई आरोप लगाये गये, क्योंकि दिनांक- 14.11.2015 से लगातार मेरे द्वारा जो अभिलेख, कागजात एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों को गहन पड़ताल की जा रही है, उसमें जिला परिषद, वैशाली, हाजीपुर भी प्रथम दृष्टया योजनाओं के क्रियान्वयन, अभिलेखों के संधारण आदि में गंभीर अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके लिए श्री भगवान सिंह, सहायक अभियंता (अनुबंध) भी दोषी है। उक्त स्पष्टीकरण (पत्रांक-1091 दिनांक-25.11.15) इस आदेश का अभिन्न हिस्सा माना जायेगा । मुख्य रूप से इस स्पष्टीकरण में जो आरोप लगाये गये हैं, उसमें वित्तीय वर्ष- 2013-14 से 2015-16 तक की विभिन्न योजनाओं में प्रारंभिक जाँच के आधार पर ही पाया गया कि लगभग 151884200.00 (पन्द्रह करोड़ अठारह लाख चौरासी हजार दो सौ) रुपये की योजनाओं के कोई अभिलेख संधारित नहीं किये गये । इतनी बड़ी राशि की योजना का बगैर किसी एकरारनामा, अभिलेख संधारण के ही शुरुआत तथा कथित रूप से पूर्ण किया जाना या फिर श्री भगवान सिंह, सहायक अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर के द्वारा उक्त परिस्थिति में अग्रिम दिया जाना एवं बगैर उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, वैशाली द्वारा अभिप्रमाणित मापी पुस्त में कथित रूप से विपत्र का इन्द्राज एवं उस विपत्र की कथित रूप से जाँच करना गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं गबन का धोतक है, जिसके लिए प्रमुख रूप से श्री भगवान सिंह, सहायक अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली हाजीपुर जिम्मेवार है। निःसंदेह इसके लिए अन्य सभी अभियंता जिसका उपर की कंडिकाओं में जिक्र है, वे भी दोषी हैं, जिनके विरुद्ध अनुबंध समाप्ति एवं नियमित रूप से नियुक्त श्री रविरंजन प्रसाद सिन्हा और सुरेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन का आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि श्री मुकेश दास, जिला अभियंता (अनुबंध) को इस कार्यालय के ज्ञापांक संचिका सं०- II-177/2015-16/ 1105 दिनांक- 28.11.15 द्वारा उनके अनुबंध को रद्द करते हुए धारित पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
6. उपरोक्त आरोप पत्र -सह- स्पष्टीकरण (पत्रांक- 1091 दिनांक-25.11.15) का उत्तर श्री भगवान सिंह, सहायक अभियंता (अनुबंध) जिला परिषद, वैशाली को दिनांक- 26.11.15 के 05:00 बजे तक देना था। परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक- 28.11.15 को दिया गया है। इस स्पष्टीकरण में उन्होंने स्वीकार किया है कि अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया है। उनका यह भी कथन है कि उन्होंने इसके लिए चुप्पी साध ली क्योंकि पूर्व से यहाँ अभिलेख नहीं खोला जा रहा था। जबकि सहायक अभियंता के रूप में इनका दायित्व था कि अगर इस संबंध में नियमों की अवहेलना हो रही है तो वे इसे ठीक कराये तथा उप विकास आयुक्त के संज्ञान में लाये । परन्तु उन्होंने ना तो योजनाओं के अभिलेख संधारण में कोई दिलचस्पी ली और ना ही इस गंभीर अनियमितता को उप विकास आयुक्त के संज्ञान में ही लाया। इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा कर्तव्य में लापरवाही की गयी है।
7. मेरे उस आदेश जिसमें उन्हें दिनांक- 14.11.15 से अगले आदेश तक योजनाओं से संबंधित कागजातों आदि की जाँच एवं प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया गया था, के संबंध में उन्होंने लिखा है कि वे जिला अभियंता से सम्पर्क बनाये हुए थे एवं योजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा था । उनका यह दलील अस्वीकार योग्य है, क्योंकि अधोहस्तक्षरी ने स्पष्ट आदेश दिया था कि इन्हें दिनांक- 14.11.15 से अगले आदेश तक मुख्यालय नहीं छोड़ना है एवं उक्त अतिमहत्वपूर्ण जाँच एवं प्रतिवेदन तैयार करना है। परन्तु उन्होंने उक्त आदेश की जान बूझकर अवहेलना की है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्री भगवान सिंह, सहायक अभियंता (संविदा), जिला परिषद, वैशाली ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया है एवं इन्होंने वरीय पदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना की है। इसी प्रकार इन्होंने मापी पुस्त एवं एकरारनामा के संबंध में भी तर्कहीन दलील दी है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि श्री भगवान सिंह, सहायक

28/11/15

